भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 95
सोमवार, 01 दिसम्बर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

ई-श्रम कार्ड की स्थिति

†95. श्री मलैयारासन डी.

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में जारी किए गए ई-श्रम कार्डों की, विशेष रूप से तमिलनाडु के कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरणों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के व्यवसाय और आय संबंधी विवरणों को सत्यापित और अद्यतन करने की कोई व्यवस्था है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत उन असंगठित श्रमिकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें योजना के आरंभ के बाद से कल्याणकारी योजनाओं, बीमा या प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का लाभ मिला है;

(घ) क्या ई-श्रम डेटा को राज्य कल्याण योजनाओं के साथ एकीकृत करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ड.) देश में विशेष रूप से तमिलनाडु के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, विशेषकर कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, प्रवासी श्रमिकों, महिला श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वालों को इस योजना के अंतर्गत पूरी तरह से कवर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगार भी अपने व्यावसायिक और आय संबंधी विवरण को ई-श्रम पोर्टल या सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से सत्यापित और अद्यतित कर सकते हैं।

दिनांक 19 नवंबर 2025 तक, तमिलनाडु राज्य में ई-श्रम पोर्टल पर 31.36 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं और 94.69 लाख से अधिक ई-श्रम कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु के कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र में 2,45,592 असंगठित कामगारों का पंजीकरण शामिल है।

जारी..2/-

देश भर में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा, जिन्हें विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है, अनुबंध-II पर है।

डेटा-आधारित कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, डेटा साझाकरण दिशानिर्देश बनाए गए हैं और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के श्रम विभागों के साथ ई-श्रम डेटा साझा करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, असंगठित कामगारों के लिए लक्षित वितरण और कल्याण योजनाओं के पूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए ई-श्रम डेटा राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के श्रम विभागों और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों को उपलब्ध कराया गया है।

ई-श्रम पहल के तहत पंजीकरण बढ़ाने और देश भर में असंगठित कामगारों, जिसमें प्रवासी कामगार और महिला कामगार शामिल हैं, को व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के अलावा, कामगारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएससी), और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायक पंजीकरण मोड भी शुरू किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है जिसमें पंजीकरण अभियान, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर अनुकूलित संचार प्रयास शामिल हैं। आउटरीच को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री के प्रसार के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है, जिससे यह पहल अधिक सुलभ और आकर्षक बनी है।

असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को और बढ़ावा देने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत कल्याण योजनाओं तक वास्तविक समय में पहुँच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे न केवल पहुंच बल्कि उपयोगकर्ता की सुविधा भी काफी बेहतर होती है।

** ********

अनुबंध-I

'ई-श्रम कार्ड की स्थिति' के संबंध में दिनांक 01.12.2025 को श्री मलैयारासन डी. द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

देश भर में दिनांक 19.11.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34,938
2	आंध्र प्रदेश	87,51,539
3	अरुणाचल प्रदेश	2,12,312
4	असम	77,75,907
5	बिहार	3,20,17,493
6	चंडीगढ़	1,89,564
7	छत्तीसगढ़	86,26,610
8	दिल्ली	35,99,559
9	गोवा	86,946
10	गुजरात	1,22,62,433
11	हरियाणा	54,12,020
12	हिमाचल प्रदेश	20,10,629
13	जम्मू और कश्मीर	36,10,081
14	झारखण्ड	97,81,799
15	कर्नाटक	1,09,76,173
16	केरल	60,90,559
17	लद्दाख	35,026
18	लक्षद्वीप	2,858
19	मध्य प्रदेश	1,91,10,311
20	महाराष्ट्र	1,81,58,941
21	मणिपुर	4,69,101
22	मेघालय	3,58,118
23	मिजोरम	72,603
24	नागालैंड	2,41,941
25	ओडिशा	1,36,60,236
26	पुदुचेरी	1,97,256
27	पंजाब	59,02,448
28	राजस्थान	1,51,00,059
29	सिक्किम	50,143
30	तमिलनाडु	94,67,976
31	तेलंगाना	45,96,989
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	75,562
33	त्रिपुरा	8,99,851
34	उत्तर प्रदेश	8,41,45,322
35	उत्तराखंड	30,99,777
36	पश्चिम बंगाल	2,65,32,959
	कुल योग	**31,36,16,039**

अनुबंध-II

'ई-श्रम कार्ड की स्थिति' के संबंध में दिनांक 01.12.2025 को श्री मलैयारासन डी. द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 19.11.2025 तक विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम के तहत पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा:

योजना	**पंजीकरण की संख्या**
एक देश, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	24,15,55,436
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	15,10,06,017
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	8,49,72,519
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)	6,16,93,566
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	3,94,74,997
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	2,25,52,084
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	98,06,495
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	32,38,555
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	31,58,528
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	24,83,426
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	11,71,070
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	1,67,068
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,803

******